कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur

फा. सं.: GCCO/II/3/POST/16/2025-ADMN

स्थापना आदेश सं. : 39/2025
दिनांक : 02.09.2025

इस कार्यालय द्वारा **निरीक्षक** श्रेणी में ऋण आधार पर पदस्थापना हेतु जारी रिक्ति परिपत्र सं. CCO/01/2025 दिनांक 21.05.2025 की अनुपालना में प्राप्त आवेदनों तथा सम्बंधित जोन से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सतर्कता प्रमाण पत्र के आधार पर, निम्नलिखित निरीक्षकों को, **दो (02) वर्ष** की अवधि के लिए, इस आदेश में वर्णित शर्तों के अनुसार, **'ऋण आधार'** पर, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर जोन में स्थानांतरित किया जाता है:-

क्रम सं.	निरीक्षक का नाम	जन्मतिथि	मूल जोन
1.	श्री मोहित मीना	11.09.1996	सीजीएसटी एवं के.उ.शु., वड़ोदरा जोन
2.	सुश्री कविता परमार	31.10.1992	सीजीएसटी एवं के.उ.शु., हैदराबाद जोन

2. **शर्तें:**

(i) उपरोक्त निरीक्षकों का ऋण आधार पर कार्यकाल उनके सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर जोन में कार्यभार ग्रहण की तिथि से प्रभावी होगा।

(ii) सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर जोन में पदस्थापन के दौरान, उपरोक्त निरीक्षकों के वेतन और भत्तों से संबंधित भुगतान उनके मूल ज़ोन/आयुक्तालय द्वारा वहन किए जाएंगे। उनकी सेवाएं भी उनके मूल ज़ोन में ही मानी जाएंगी, अर्थात् वे अपने मूल ज़ोन की कार्यबल में शामिल रहेंगे तथा उन्हें किसी भी प्रकार का विशेष वेतन, भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(iii) इस ऋण आधार पर स्थानांतरण हेतु कोई स्थानान्तरण भत्ता और कार्यग्रहण अवधि देय नहीं होगी।

(iv) उक्त अधिकारी सीजीएसटी एवं के.उ.शु.,, जयपुर ज़ोन में पदोन्नति, पुष्टि, वरिष्ठता आदि के पात्र नहीं होंगे।

(v) उक्त अधिकारियों का सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर ज़ोन के क्षेत्राधिकार में कहीं भी पदस्थापन/ स्थानान्तरण किया जा सकता है।

(vi) उक्त अधिकारियों को किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए, उनके मूल ज़ोन में वापस भेजा जा सकता है।

3. उपरोक्त अधिकारियों को शीघ्र कार्यभारमुक्त हो कर आदेश जारी होने की तिथि के 30 दिवसों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को रिपोर्ट करने के लिए निर्देशित किया जाता है। यदि वे निर्धारित तिथि तक रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो यह आदेश बिना किसी आगामी सूचना के रद्द समझा जाएगा।

यह आदेश मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर जोन की संस्वीकृति से जारी किये जा रहे हैं।

Digitally signed by
Nishtha Sharma
Date: 03-09-2025
11:43:01

(निष्ठा शर्मा)
संयुक्त आयुक्त

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. प्रधान मुख्य आयुक्त/ मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., वड़ोदरा जोन/ हैदराबाद जोन।
2. आयुक्त, रंगा रेड्डी सीजीएसटी आयुक्तालय, हैदराबाद।
3. आयुक्त, अपील्स आयुक्तालय, वड़ोदरा।
4. सम्बंधित अधिकारी।
5. गार्ड फ़ाइल/ नोटिस बोर्ड।
6. वेबमास्टर – जोनल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।